न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 72/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या. :– 2021/152

उनवान

1. हरी सिंह
2. मोहन सिंह
3. कैलाशी

} पुत्रगण नत्थी सिंह जाति धीमर निवासी मौहल्ला बी नारायन गेट भरतपुर तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भरतपुर, प्रतिनिधि राज्य सरकार।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. शान्ती देवी
3. कृष्णा देवी
4. मीरा देवी
5. केशर देवी

} पुत्रीगण नत्थी सिंह जाति धीमर निवासी मौहल्ला बी नारायन गेट भरतपुर तह0 व जिला भरतपुर।

6. जावो पत्नी स्व0 नत्थी सिंह जाति धीमर निवासी मौहल्ला बी नारायन गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 08.02.2021 उनवानी हरी सिंह बनाम सरकार मु0न0 90/2019

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 23.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 08.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/असल रैस्पो0 इस आशय का पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 3 क्षेत्रफल 0.40 है0 कस्बा भरतपुर चक नम्बर 01 तहसील व जिला भरतपुर के वादीगण/अपीलाण्ट समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। विवादित आराजी को तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 24.06.1958 को यानी संवत 2015 में खेती के लिये वादीगण अपीलाण्ट के पिता स्व0 नत्थी पुत्र मुरली को स्थाई पट्टा किया गया था जिसके आधार पर उन्हें तत्सम्बन्धित राजस्व अभिलेख जमाबंदी खसरा गिरदावरी में पहले पट्टेदार व बाद में गैर खातेदार काश्तकार अंकित किया गया है और तब से ही राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी के इन्द्राज चले आ रहे हैं। स्व0 नत्थी सिंह के मरणोपरान्त यह आराजी अब वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के हक में वहिस्सा बराबर गैर खातेदार विरासत में दर्ज की गई और आज तक इसी प्रकार नये नम्बरान पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण गैर खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एवं राजस्थान जमीदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 30 के अनुसार विवादित आराजी वादीगण के पिता को स्वतः ही अधिकार खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश उन्हें दर्ज नहीं किया है। प्रतिवादीगण का यह दायित्व रहा है उन्हें उक्त अधिनियम क प्रावधान अनुसार खातेदार दर्ज करते या सक्षम न्यायालय में आवेदन करके दर्ज कराते। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार विवादित आराजी पर वादीगण को विवादित आराजी से गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पिता का कब्जा काश्त संवत 2013 से लगातार चला आ रहा है संवत 2013 की जमाबन्दी में इन्द्राज यद्यपि परभाती वल्द नेहने पट्टेदार साल 1 के नाम दर्ज है परन्तु उस समय भी काश्त अपीलाण्ट के पिता नत्थी की ही रही है। पत्पश्चात् अपीलाण्ट के पिता के नाम काश्त के इन्द्राज दर्ज रहे हैं। खसरा गिरदावरी संवत 2015 के अनुसार अपीलाण्ट के पिता नत्थी को दिनांक 24.06.1958 को पट्टेदार के रूप में दर्ज कर दिया और काश्त भी नत्थी की ही अंकित है। तत्पश्चात् ताहाल तक राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट के पिता को गैर खातेदार दर्ज किया जाता रहा है तथा उनके स्वर्गवास के वाद विरासतन आराजी अपीलाण्ट ने प्राप्त की है एवं अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। इतने लम्बे समय से अपीलाण्ट को गैर खातेदार दर्ज किया जाता रहा है। जबकि कानूनन अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के निर्णय में खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4 के इन्द्राजो पर जो टिप्पणी की गयी है वह सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही रूप से उक्त इन्द्राजो पर गौर नहीं किया और ना ही परीक्षण करने की कोशिश की तथा इनका अर्थ भी त्रुटिपूर्ण निकाला है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्रदर्श 6 जमाबन्दी संवत 2013 लगायत 16 को आधार बनाया है। जबकि जमाबन्दी संवत 2017 से आज तक अपीलाण्ट व उनके पिता नत्थी के इन्द्राज गैर खातेदारी दर्ज है जिनको आज तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी है उक्त इन्द्राजो को लगभग 62–63 वर्ष का समय निकल चुका है जबकि विधि अनुसार किसी गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार लगभग तीन वर्ष के बाद ही प्राप्त हो जाते हैं। अपीलाण्ट के पिता को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

अधिनियम की धारा 30 के अनुसार खातेदारी अधिकार स्वः ही प्राप्त हो गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उक्त नियमो की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1976 पेज 317, 1961 पेज 109 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप योग्य कोई गुँजाईश शेष नहीं रहती है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावें को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ कायम की गई हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. तनकी संख्या :– आया वादीगण विवादित आराजी पर दर्ज गैर खातेदार को कलमजन करवाकर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में विरूद्ध वादीगण अपीलाण्ट तय किया है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 193 मिन, 194 मिन से हाल खसरा नम्बर 338, 339, 365 निर्मित होना स्पष्ट है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण के पिता नत्थी जमाबन्दी संवत 2016 में विवादित साविक खसरा नम्बरो पर बतौर गैर खातेदार दर्ज हैं एवं इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2043–2062 में विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरो पर बतौर खातेदार दर्ज हैं। जमाबन्दी संवत 2068–2071 में नत्थी की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी पर विरासतन दाखिला खारिज से जाबो देवी पत्नि स्व0 नत्थी, हरी सिंह, मोहन सिंह, कैलाश सिंह पिसरान नत्थी, शान्तिदेवी, कृष्णा, मीरा, केशर पुत्रियान नत्थी हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड हैं। नक़ल खसरा गिरदावरी संवत 2014–17, 2030–33, 2038–41, 2046–2049, 2062–65 में दर्ज फसल एवं हाल खसरा नम्बर 338 में गैर मुमकिन बोरिंग लगे होने से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त एवं उपयोग–उपभोग भी प्रमाणित हैं। प्रस्तुत रिकार्ड से विवादित भूमि पूर्व में सरकारी/मकबूजा दर्ज रही हो। ऐसा भी स्पष्ट नहीं है। विवादित आराजी पर वादीगण अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष बतौर पट्टेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अतः वादी अपीलाण्ट स्वयं को विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के हकदार होते हैं। हम यहॉ प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार, भरतपुर को लापरवाह व कर्त्तव्य के प्रति उदासीन पाते हैं, जो अपने कथन कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं हैं, के बाबजूद वादी/अपीलाण्ट के गैर खातेदारी इन्द्राज समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की चेष्टा नही की है। वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त साबित है। लिहाजा तहसीलदार, भरतपुर के कथन ग्राह्य नही है। वादी अपीलाण्ट राजस्व अभिलेख में लगातार 60 साल से गैर खातेदार दर्ज हैं। इन्हें समय के साथ या तो खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए थे अथवा गैर खातेदारी इन्द्राज समाप्त करने के लिए कार्यवाही, तहसीलदार भरतपुर, प्रतिवादी संख्या 01 को करनी चाहिए थी। परन्तु उनके द्वारा उनके गैर खातेदारी अधिकारो को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। उपरोक्त विवेचन अनुसार, भूमि चूंकि शास्वत रूप से गैर खातेदारी में दर्ज रहना उचित नही है। अतः वादीगण अपीलाण्ट विवादित भूमि पर स्वयं के गैर खातेदारी इन्द्राजो को कलमजन कराकर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी होते हैं। लिहाजा तनकी वादीगण/अपीलाण्ट के पक्ष में पायी जाती है।

7. तनकी संख्या 02:–आया वादीगण रिलीजडीड के आधार पर औपचारिक प्रतिवादीगण के स्थान पर स्वयं को खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी हैं, औपचारिक तरतीवी रैस्पो संख्या 02 लगायत

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

06 द्वारा रिलीजडीड वादीगण अपीलाण्ट के पक्ष में करा दी गयी है एवं तनकी संख्या 01 में वादीगण को गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः वादीगण अपीलाण्ट रिलीज डीड के आधार पर औपचारिक रैस्पो0 के स्थान पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी होते हैं। तनकी वहक वादीगण अपीलाण्ट तय की जाती है।

8. तनकी संख्या 03, आया विवादित आराजी नगर निगम क्षेत्र में हैं, विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि है एवं वादीगण अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित है व वह संवत 2016 से ही विवादित भूमि पर बतौर गैर खातेदार दर्ज अभिलेख हैं। अतः विवादित भूमि के नगर निगम क्षेत्र में होने से उनके खातेदारी अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। तनकी वहक अपीलाण्ट तय की जाती है।

9. तनकी संख्या 04, आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2013–17 में काश्त दर्ज नहीं है अर्थात वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। दावा वादीगण खारिज योग्य है, जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में एक, दो साल को छोडकर, वादीगण अपीलाण्ट की काश्त दर्ज है एवं उनके द्वारा आराजी की काश्त हेतु एक खसरा नम्बर में गैर मुमकिन बोंरिग भी लगा रखी है। अतः अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित है।

10. अनुतोष :– समस्त तनकियात का निस्तारण हो चुका है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त प्रमाणित है। अतः वादीगण अपीलाण्ट स्वयं को विवादित आराजी पर दर्ज अपने गैर खातेदारी के इन्द्राजो को कलमजन कराकर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं।

11. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 08.02.2021 अपास्त किये जाकर वादीगण अपीलाण्ट के विवादित आराजी खसरा नम्बर 338, 339, 365 कुल किता 3 क्षेत्रफल 0.40 है0 कस्बा भरतपुर चक नंबर 01 में हो रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजो को कलमजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

23.10.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दावानो)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 72/21 (223 आर0 टी0 एक्ट)

जीसीएमएस संख्या :– 2021/152

उनवान

1. हरी सिंह
2. मोहन सिंह
3. कैलाशी

} पुत्रगण नत्थी सिंह जाति धीमर निवासी मौहल्ला बी नारायन गेट भरतपुर तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भरतपुर, प्रतिनिधि राज्य सरकार।
..... असल रेस्पोंडेंट।

2. शान्ती देवी
3. कृष्णा देवी
4. मीरा देवी
5. केशर देवी

} पुत्रीगण नत्थी सिंह जाति धीमर निवासी मौहल्ला बी नारायन गेट भरतपुर तह0 व जिला भरतपुर।

6. जावो पत्नी स्व0 नत्थी सिंह जाति धीमर निवासी मौहल्ला बी नारायन गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 08.02.2021 उनवानी हरी सिंह बनाम सरकार मु0न0 90/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री प्रमोद कुमार उपमन मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अधिवक्ता अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.21 अपास्त किये जाकर वादीगण अपीलाण्ट के विवादित आराजी खसरा नम्बर 338, 339, 365 कुल किता 3 क्षेत्रफल 0.40 है0 कस्बा भरतपुर चक नंबर 01 में हो रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजो को कलमजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....**23**....माह....**10**....सन्.....**2023**....को जारी की गई।

23/10/2023

मुहर

दस्तखत.....राजस्व अपील प्राधिकारी
औहदा.....भरतपुर (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।